

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1-29/राजस्व/राहत/2004(513 रायपुर, दिनांक 17/05/2013
प्रति,

कलेक्टर,
जिला बस्तर, कांकेर, दन्तेवाड़ा, जशपुर,
सरगुजा, कोरिया, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव,
सुकमा, बलरामपुर, सूरजपुर छत्तीसगढ़,

विषय:-राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल व्यवस्था
हेतु आबंटन वर्ष 2013-14

विषयान्तर्गत प्रदेश में भीषण गर्मी से उत्पन्न पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल, परिवहन हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद मांग संख्या-58, मुख्यशीर्ष-2245-दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत-के अर्न्तगत रूपये 94.00 लाख (रूपये चौरान्बे लाख मात्र) विभिन्न मुख्य/लघु शीर्षों के अर्न्तगत निम्न शर्तों के अधीन आबंटन सौपा जाता है ।

(राशि लाख रु. में)

क.	जिला	विकास खण्ड की संख्या	प्रति विकास खण्ड स्वीकृत राशि	मांग संख्या 58 मुख्य शीर्ष 2245-दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत-01 सूखा आदि-102 पेय जल पूर्ति-2661-पेय जल पूर्ति-27 लघु निर्माण कार्य-004 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी निर्माण कार्य
1	2	3	4	5
1	बस्तर	7	1.00	7.00
2	कांकेर	7	1.00	7.00
3	दन्तेवाड़ा	4	1.00	4.00
4	जशपुर	8	1.00	8.00
5	सरगुजा	7	1.00	7.00
6	कोरिया	5	1.00	5.00
7	बीजापुर	4	1.00	4.00
8	नारायणपुर	2	1.00	2.00
9	कोण्डागांव	5	1.00	5.00
10	सुकमा	3	1.00	3.00
11	बलरामपुर	6	1.00	6.00
12	सूरजपुर	6	1.00	6.00
योग		64		64.00

//2//

2. उपरोक्त आबंटन जिस मुख्य/लघु शीर्ष में दिया जा रहा है, आहरण/व्यय भी उसी मद के अर्न्तगत किया जावे ।
3. उपरोक्त आबंटन का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जावे। व्यय की प्रत्याशा में एक मुश्त राशि आहरण किसी भी परिस्थिति में बिना शासन अनुमति के नहीं किया जावे।
4. उक्त आबंटन के विरुद्ध किये गये आहरण एवं व्यय की जानकारी आगामी माह के 7 तारीख तक मासिक व्यय पत्रक एवं विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें ।
5. आबंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. उपरोक्त आबंटन का उपयोग 31.03.2014 के पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आबंटित राशि में से कोई राशि आहरण/व्यय हेतु शेष रहती है तो उस स्थिति में बचत राशि का समर्पण शासन को नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(चन्द्रकान्त उइके)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक एफ 1-29/राजस्व/राहत/2004/514 रायपुर, दिनांक 17/05/2013
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर ।
 2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय रायपुर ।
 3. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय रायपुर ।
 4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी छत्तीसगढ़ रायपुर ।
 5. संभागीय आयुक्त, बस्तर एवं सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़ ।
 6. संचालक, कोषलेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर ।
 7. जिला कोषालय अधिकारी बस्तर, कांकेर, दन्तेवाड़ा, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव, सुकमा, बलरामपुर, सूरजपुर छत्तीसगढ़,
 8. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
 9. लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर ।
 10. स्टाक फाईल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित ।

(चन्द्रकान्त उइके)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग